प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य में स्थित सभी प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सभी जिला पुस्तकालय, स्टैट सैन्टल लाईब्रेरी अंबाला कैंट एव उप–मण्डल पुस्तकालय।

यादी क्रमांक KW 18/106–2012 पु0 (2)
दिनांक 29.03.2022

**विषयः आउटसोर्सिंग पॉलिसी पाट–I पर लगे चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की अनुबंध अवधी बढाने बारे।**

******

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आप द्वारा निदेशालय के ध्यान में लाया गया है कि जो Service Provider (Contractor) पार्ट–I के तहत चतुर्थ एवं तृतिय श्रेणी कर्मचारियों की सेवायें दे रहे है तथा जो चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों पार्ट–I के तहत कार्य कर रहे है, उनका Contract खत्म हो चुका है या जल्द ही खत्म होने वाला है। इसलिए आप द्वारा Service Provider (Contractor) तथा अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों की समय अवधी बढाने का अनुरोध किया गया है।

आप द्वारा भेजी गई मांग के आधार पर हरियाण कोशल रोजगार निगम के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया तथा उन द्वारा बताया गया कि मैनपावर को कारगर करने में दो या तीन मास का समय लग सकता है। इसलिए सभी राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों/ हरियाणा राज्य में स्थित सभी जिला पुस्तकालय, स्टैट सैन्टल लाईब्रेरी अंबाला कैंट एव उप–मण्डल पुस्तकालय में कार्यरत सेवायें दे रहे Service Provider (Contractor) की सेवायें मैनपावर कारगर होने तक समय–समय पर बढाई जा सकती है।

अतः सभी राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों/ हरियाणा राज्य में स्थित सभी जिला पुस्तकालय, स्टैट सैन्टल लाईब्रेरी अंबाला कैंट एव उप–मण्डल पुस्तकालय में नॉन–टिचिंग स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुए कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतू सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट–I के तहत ग्रुप–सी व ग्रुप–डी में कार्यरत कर्मचारियों तथा जो Service Provider (Contractor) उक्त कर्मचारियों की सेवाएं दे रहे है उनकी Contract अवधी तीन मास के लिए बढाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

नोटः– आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट–I या पार्ट–II में सरकार की हिदायतें दिनांक 28.09.2021 अनुसार कोई नई नियुक्ति न की जाये।

Sd/-
उप–निदेशक पुस्तकालय
कृतेः निदेशक उच्चतर शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन क्रमांक : सम दिनांक, पंचकूला 29.03.2022

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षक बजट शाखा
2. ईन्चार्ज आई0 टी0 सैल (for uploading on Web Portal)

29.03.22
उप–निदेशक पुस्तकालय
कृतेः निदेशक उच्चतर शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

No.16/07/2015-3GS-II
Haryana Government
General Administration Department
(In General Services-II Branch)

Dated: Chandigarh, the 28th September, 2021.

To

1. All the Administrative Secretaries to Government, Haryana
2. All the Heads of Departments, Haryana
3. All the Commissioners, Ambala/Hisar/Rohtak, Karnal, Gurugram and Faridabad Divisions.
4. All the Managing Directors of Boards/Corporations/Public Undertakings in Haryana.
5. The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh
6. All the Deputy Commissioners in Haryana.
7. All the Sub Divisional Officers (Civil) in Haryana.

Subject: Regarding stopping fresh engagement under Outsourcing Policy Part-I and Part-II.

********

Your attention is invited towards Govt. instructions No. 16/07/2015-3GSII dated 06.04.2015 and letter of even No. dated 23.07.2019 vide which it had been mentioned that in emergent cases involving public interest, Departments may engage Group C & D contractual employees against vacant sanctioned posts under Outsourcing Policy Part-II with the approval of Chief Secretary and Finance Department. However, the State Government has now reconsidered the matter and decided to stop all fresh recruitment/engagement under Part-I and Part-II of the Outsourcing Policy with immediate effect.

2. These instructions may be brought to the notice of all concerned for immediate and strict compliance in letter and in spirit.

Chief Secretary to Government, Haryana